

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुकम में हुकम
10-1-18	वकील वारी उपा. लखन जारी है। पत्रावली नरेश प्र. पत्र का मु. दि. 06-2-18 के पेश है।	603
06-2-18	<p>राजस्व का मु. दि. 06-2-18 के पेश है। जब राजस्व/प्रशासन नौसे व जब राजस्व 2010 में पेश है। कमाली अग्रिम आदेश दि. 06/4/15 के तहत है।</p>	
30-4-18	<p>राजस्व का मु. दि. 06-2-18 के पेश है। जब राजस्व/प्रशासन नौसे व जब राजस्व 2010 में पेश है। कमाली अग्रिम आदेश दि. 06/4/15 के तहत है।</p>	
01-6-18	<p>पत्रावली राजस्व लौट इत्यादि 2018 का ऑफिसियल में पेश हुआ। वारी उपस्थित वारी की ओर के प्र. पत्र पेश किया गया कि प्रकरण ① कोरीलाल बनाम मौल 156/15 ② कोरीलाल बनाम रामलक्ष्मण 147/15 ③ कोरीलाल बनाम रामलक्ष्मण 138/15 ④ कोरीलाल बनाम मौलीलाल 146/15 ⑤ कोरीलाल बनाम लक्ष्मीनाथमण 160/15 मय प्र. पत्र T.F. के पेश किए हुए हैं। उक्त नोटेशन बागुजास्त वाक्य पेश किए हैं। जिले के द्वारा पत्रावली (प.क) राजस्थान कार्यकारी अधिनियम के तहत 5 वर्ष के अंदर व 20 वर्ष विष्पादन तारीख ले ले गए हैं। उक्त द्वारा के तहत एके तैयारी रहन बिना पुकारे रहन मुक्त समझा जावे। निहाय उक्त रहन की लममावाधि समाप्त हो चुकी है। अतः प्रकरणों में राजस्व रिपोर्ट में रहन मुक्त के आदेश फरमावे।</p> <p>तदनीलकार निम्न की रिपोर्ट व लेखन दस्तावेजों का अक्लौकन करने के पश्चात्</p>	करीकंठगिराल

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी
हुक्म

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

591-60
12-1-18

करीबं चरीवाल

आमाल्य इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि
वर्षित भूमि ख.नं. 63 रकबा 01-02 बीघा बाँके
ग्राम काचरिया में दर्ज रहन, धारा 43(3)(4)
(4क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत
5 वर्ष से अधिक व 20 वर्ष निष्पादन तारीख
के ही गर्व है। अतः निम्नानुसार रहन का
अंकन हटाया जाना उचित है। राज्य सरकार
के अखिला लोड अदालत हेम्य कोर्ट के अदालत
काश्तकारों के बीच कम से कम वाद यामर
हो तथा नियमों की जानकारी के अभाव में
अनावश्यक कौर नहीं बदे। इस कारण यह
वाद राजस्व लोक अदालत की भावना से
आदालत स्वीकार किया जाना उचित समझता
है। अतः वारीगन का वाद लोक अदालत
की भावना से स्वीकार में स्वीकार किया
जाता है। धारा 43(3)(4)(4क) राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम के तहत ख.नं. 11 ख.नं. 63
बाँके ग्राम काचरिया तिवर 20 68-71 में
रहन बागुजास्त किया जाकर उतवा वारीगन
के नाम राजस्व रिकॉर्ड में हटाये जाने के
आदेश दिये जाते हैं परन्तु डिक्री जारी हो
पत्रावली फ़ैलशुमार होकर नम्बर के कम
के तथा कवर दाखिल हो।

1/6/18
के.एस.एस. कोर्ट
गानी

मूल वद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- उपखण्ड अधिकारी निवाई

उनवान

दावा बाबत... कौरीलाल बनाम शौच

मुकदमा नम्बर :- 156/2015

निर्णय दिनांक :- 01.6.18

वादी की ओर से

कौरीलाल

की व प्रतिवादी की ओर से

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.6.18 को हरिताम (नाम पीठासीन अधिकारी)

के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

वादीगण का वाद लोक अदालत की प्रक्रिया के अन्तर्गत में खींचा दिया जाता है। धारा 43(3)(प) (पक) राजस्थान काश्कारी अधिनियम के तहत खर्च प. 11 ख. नं. 63 वाक गाम काचरिया तिवर 2068-71 में रहने वागुजाकल दिया जाकर पुनिकीर्णन के नाम राजस्व-रिकॉर्ड से हटाने जाने के आदेश दिए जाते हैं।

खर्चा पक्षकारान्त अपना - अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 01.6.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

31/6/18
पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, निवाई
कैम्प कोर्ट न्यायालय

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			
3. प्रदेशों के लिए स्टाम्प			
4.रुपये प्लीडर की फीस			
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय			
6. कमीशनर की फीस			
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़े		जोड़े	

पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर, निवाई